न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 27 / 2013 / 223 / (00102 / 2013 / 223)

1. सोहनसिंह पुत्र रावतसिंह,
2. शैतानसिंह पुत्र रावतसिंह,
3. सुगनसिंह पुत्र रावतसिंह,
4. रामसिंह पुत्र रावत सिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी सूरजकुण्ड, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती छोटी कंवर बेवा रतनसिंह,
2. लाकू सिंह उर्फ लादू सिंह पुत्र रतनसिंह,
3. नेमसिंह पुत्र रतनसिंह,
4. शोदान सिंह पुत्र रतन सिंह,
5. लालसिंह पुत्र रतन सिंह,
6. चेन सिंह पुत्र रतनसिंह,
7. प्रेम कंवर पुत्री रतन सिंह,
8. कैलाश कंवर पुत्री रतन सिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी तिलोरा, उप—तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।

9. श्रीमती पारस कंवर बेवा छोटू सिंह,
10. पप्पू सिंह पुत्र छोटू सिंह,
11. चन्दन सिंह पुत्र छोटू सिंह,
12. नरसिंह पुत्र छोटू सिंह,
13. श्रीमती मदन कंवर बेवा हरी सिंह,
14. भवानी सिंह पुत्र हरी सिंह,
15. ओम सिंह पुत्र हरीसिंह,
16. खुशबू कंवर पुत्री हरीसिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी सूरजकुण्ड, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर।

17. छोटूसिंह पुत्र रूपा, जाति रावत, निवासी बागोलाई (देवनगर), उप—तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
18. ग्राम पंचायत भगवानपुरा, जरिये सरंक्षक पंचायत समिति पीसांगन, जिला अजमेर ।
19. उप पंजीयक, पीसांगन, जिला अजमेर ।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 2.11.2012 अंतर्गत वाद संख्या 78 / 2012.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री एन0एस0 राजावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 8 एवं 17.
3. रेस्पो0 संख्या 9 से 16 व 18 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 22.01.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 2.11.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 16 के पूर्वजो एवं गोविन्दसिंह पुत्र नन्दसिंह की जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2.7.1968 के तहत क्रयशुदा खातेदारी/काश्तकारी की आराजियात खसरा नंबर 1433 रकबा 4.13 है0 ग्राम सूरजकुण्ड, तहसील पीसांगन में अवस्थित है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 के पारिवारिक सजरा अंकित करते हुए निवेदन किया कि सजरानुसार गोविन्दसिंह पुत्र नन्दसिंह नाऔलाद फौत हो गये तथा रतनसिंह पुत्र नन्दसिंह जो कि ग्राम तिलोरा उप–तहसील पुष्कर निवास करते थे एवं उनके वारिसान यथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 आज भी तिलोरा में ही निवास करते है एवं ग्राम तिलोरा स्थित आराजियात पर रतनसिंह के वारिसान काबिज काश्त है तथा विवादित आराजियात जो ग्राम सूरजकुण्ड में है, उस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 से 16 काबिज काश्त चले आ रहे है । चूंकि विवादित आराजियात रावतसिंह, गोविन्दसिंह, हरिसिंह व छोटूसिंह की क्रयशुदा है, जिससे रतनसिंह पुत्र नन्दसिंह का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है, न ही वे अथवा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 कभी काबिज रहे है, लेकिन भाई होने के कारण त्रुटिवश उनका नाम विक्रय पत्र में दर्ज हो गया जिससे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 का नाम वादीगण व शेष प्रतिवादीगण के साथ दर्ज हो गया है । लेकिन विवादित आराजियात गोविन्दसिंह नाऔलाद फौत होने के कारण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 16 के हक, अधिकार व स्वामित्व तथा कब्जे काश्त की आराजियात ही है । वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 16 के मध्य रतनसिंह पुत्र नन्दसिंह के जीवनकाल में दिनांक 12.1.2003 को परिवार की संपूर्ण आराजियात का बंटवारा हुआ था । उक्त बंटवारा दिनांक 12.1.2003 रूबरू गवाहान निष्पादित किया गया है । उक्त बंटवारानामे पर स्वंय रतनसिंह के हस्ताक्षर है जिसके अनुसार विवादित आराजियात ग्राम सूरजकुण्ड वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 से 16 के यथावत् कब्जे काश्त व हिस्से में रहेगी तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 9 से 16 के नाम ही खातेदारी में दर्ज होगी एवं ग्राम तिलोरा स्थित आराजी पर यथावत् रतनसिंह तन्हा काबिज काश्त रहेगें तथा उनकी खातेदारी में रहेगी । लेकिन जमाबंदी में सहवन से रतनसिंह का नाम दर्ज हो गया जिनकी विरासत प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के नाम दर्ज हो गई जिसे दुरूस्त की जाकर वादग्रस्त आरायिजात का वादीगण हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 से 12 हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 13 से 16 का 1/3 हिस्सा अनुसार खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार न्यायिक बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 से 8 एवं 17 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वादीगण द्वारा वर्तमान वाद मुख्य रूप से दिनांक 2.7.1968 को निपादित/पंजीकृत विक्रय पत्र में वात्सल्य एवं प्रेम भावना के कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पति व पिता स्व0 रतनसिंह का नाम संयोजित कर दिए जाने के आधार पर अंकित खातेदारी को चुनौती दी है जबकि पंजीकृत विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दी जाकर निरस्त कराये बिना वादीगण को वर्तमान वादपत्र के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के

नाम अंकित खातेदारी को चुनौती दिये जाने का विधि के तहत हक अधिकार नहीं है । इस कारण वर्तमान वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से वाद निरस्त किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 2.11.2012 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 एवं 17 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होना मानकर निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजियात एवं वादीगण तथा प्रतिवादीगण के परिवार की आरायिजात ग्राम तिलोरा में भी अवस्थित है जो पक्षकारान के पारिवारिक सदस्य की खातेदारी की भूमि रही है जिनके वारिसान भी पक्षकारान ही है । इसी कारण ग्राम सूरजकुण्ड एवं ग्राम तिलोरा स्थित आरायिजात का पक्षकारान के मध्य रतनसिंह पुत्र नन्दसिंह के जीवनकाल में दिनांक 12.1. 2003 को रूबरू गवाहान आपसी बंटवारानामा मौखिक रूप से निष्पादित किया गया था जिसमें वादग्रस्त आराजियात स्थित ग्राम सूरजकुण्ड वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 16 के हिस्से में रखी गई तथा ग्राम तिलोरा स्थित आराजी रतनसिंह पुत्र नन्दसिंह के हिस्से में रखी गई थी क्योंकि रतनसिंह ग्राम तिलोरा स्थित भूमि पर वर्षो पूर्व से तन्हा काबिज काश्त चले आ रहे है एवं वही पर निवास कर रहे है । आपसी मौखिक बंटवारा पंचों के समक्ष निष्पादित करने के पश्चात् दिनांक 25.1.2003 को रूबरू गवाहान गुमानसिंह व शंभूसिंह के समक्ष बंटवारे की शर्त के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 16 द्वारा 10,000/—रू0 नकद रतनसिंह को प्रदान किये गये तत्पश्चात् स्वंय रतनसिंह द्वारा 100/—रू0 का स्टाम्प दिनांक 25.1.2003 को बंटवारानामा हेतु क्रय किया गया जिस पर बंटवारानामा तैयार किया गया जिसके अनुसार ग्राम सूरजकुण्ड स्थित आराजी पर वादीगण व प्रतिवादगण संख्या 9 से 16 तन्हा रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है एवं सूरजकुण्ड स्थित भूमि से रतनसिंह के तथा ग्राम तिलोरा स्थित भूमि से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 9 से 16 के स्वत्व समाप्त हो चुके है। उक्त तथ्य बाद गवाहान ही सिद्ध हो सकते है लेकिन अधी0न्याया0 ने प्रकरण को साक्ष्य के स्तर से पूर्व ही निरस्त कर दिया जिससे अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात का पक्षकारान के मध्य आपसी बंटवारा हो चुका है तथा विगत् 40 वर्षो से अधिक समय से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 से 16 ग्राम सुरजकण्ुड स्थित भूमि पर तथा रतनसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ग्राम तिलोरा स्थित भूमि पर स्वत्वाधिकारी होकर काबिज काश्त चले आ रहे है । इस प्रकार सम्पति हस्तातंरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुासर पार्ट परफोर्मेन्स हो चुकी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 16 ग्राम सूरजकुण्ड स्थित विवादित भूमि पर बहैसियत काबिज काश्त चले आ रहे है जिससे रतनसिंह के सूरजकुण्ड स्थित भूमि में निहित स्वत्वों का स्वतः ही अवसान हो चुका है । उक्त समस्त कानूनी बिन्दुओं का निस्तारण तनकीयात कायम की जाकर बाद साक्ष्य हीं संभव था लेकिन अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को अवांछित रूप से लाभ पहुंचाने की गरज से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । गोविन्दसिंह नाऔलाद फौत हो चुका है जिसके हिस्से की आराजी के स्वत्व किसमं निहित हुए, बाबत् भी वादपत्र में निर्णय

किया जाना वांछित था । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष यह कतई सिद्ध नहीं किया गया था कि दिनांक 2.7.1968 एवं 8.8.2012 को वादीगण को वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ हो एवं न ही प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित वाद की संज्ञा में आने बाबत् ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये थे । चूंकि दिनांक 25.1.2003 को स्वंय रतनसिंह की उपस्थिति में उसके स्वंय के द्वारा बंटवारानामा निष्पादित किया गया था जिसमें रतनसिंह की स्वंय की स्वीकारोक्ति थी । उक्त स्वीकारोक्ति बरवक्त बयान प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर न्यायालय के समक्ष सिद्ध की जानी शेष थी । लेकिन उक्त समय से पूर्व ही आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों के बाहर जाकर आदेश अंतर्गत अपील पारित कर दिया जो काबिल निरस्तनीय है । हस्तगत प्रकरण मं तथ्य एवं विधि के संयुक्त प्रश्न अन्तर्निहित है जिनका निर्धारण तनकीयात कायम की जाकर बाद साक्ष्य ही संभव था । इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने मे त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा वाद को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 2003 पार्ट–3 पेज 1891–बी, आर0एल0डब्ल्यू0 2012 पार्ट–3 राज0 पेज 1999, आर0आर0डी0 2007 पेज 594, आर0आर0डी0 1986 पेज 579, आर0आर0डी0 1973 पेज 184, डी0एन0जे0 2000 पेज 804 एवं आर0बी0जे0 2009 पेज 687 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 8 एवं 17 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । वादीगण द्वारा वर्तमान वाद मुख्य रूप से दिनांक 2.7.1968 को निपादित/पंजीकृत विक्रय पत्र में वात्सल्य एवं प्रेम भावना के कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पति व पिता स्व0 रतनसिंह का नाम संयोजित कर दिए जाने के आधार पर अंकित खातेदारी को चुनौती दी है जबकि पंजीकृत विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दी जाकर निरस्त कराये बिना वादीगण को वर्तमान वादपत्र के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम अंकित खातेदारी को चुनौती दिये जाने का विधि के तहत हक अधिकार नहीं है । पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2.7.1968 में रतनसिंह का नाम दर्ज है तथा रतनसिंह के स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 से 8/रेस्पो0 संख्या 1 से 8 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर खातेदार काश्तकार है । पंजीकृत विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दी जाकर निरस्त कराये बिना अपीलांटस को किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । यह भी कथन किया कि पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्राप्त खातेदारी को विलोपित किये जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है । इस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रवितादीगण संख्या 9 लगायत 16 के पूर्वजां एवं गोविन्दसिंह पुत्र नन्दसिंह की जरिये पंजीकृत व्रिय पत्र दिनाक 2.7.1968 के तहत क्रयशुदा खातेदारी काश्तकारी की आराजियात खसरा नंबर 1433 रकबा 4.13 है0 किस्म बारानी तृतीय ग्राम सूरजकुण्ड तहसील पीसांगन में अवस्थित है । विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के

परिवार की आराजियात ग्राम तिलोरा में भी अवस्थित है । वादपत्र में सजरा अंकित कर कथन किया कि ग्राम सुरजकुण्ड एवं ग्राम तिलोरा स्थित आराजियात का पक्षकारान के मध्य रतनसिंह पुत्र नन्दसिंह के जीवनकाल में दिनांक 12.1.2003 को रूबरू गवाहान आपसी बंटवारा मौखिक रूप से निष्पादित किया गया था । जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम सुरजकुण्ड की वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 9 से 16 के हिस्से में रखी गई तथा ग्राम तिलोरा स्थित आराजी रतनसिंह पुत्र नन्दसिंह के हिस्से में रखी गई क्योंकि रतनसिंह ग्राम तिलोरा स्थित भूमि पर वर्षो पूर्व से तन्हा रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है एवं वहीं पर निवास कर रहे है किन्तु ग्राम सूरजकुण्ड की वादग्रस्त आराजी वास्तल्य एवं प्रेम भवना के कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पति व पिता स्व0 रतनसिंह के नाम संयोजित कर दिये जाने के आधार पर अंकित खातेदारी को चुनौती दी है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 से 16 को खातेदार घोषित किया जाकर अधिकार अभिलेख में से प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का नाम तर्क किया जावे एवं वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 16 का नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज किया जावे तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 16 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार बंटवारा किया जावे एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबदं किया जावे । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादीग संख्या 1 लगायत 7 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा वादपत्र मुख्य रूप से दिनांक 2.7.1968 को निष्पादित/पंजीकृत विक्रय पत्र में वात्सलय एवं प्रेम भावना के कारण स्व0 रतनसिंह का नाम संयोजित कर दिये जाने के आधार पर स्व0 रतनसिंह तथा उनके स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम अंकित खातेदारी को चुनौती दी गई है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के नाम अंकित खातेदारी को वर्तमान राजस्व वाद के माध्यम से चुनौती दिये जाने का विधि के तहत हक, अधिकार नहीं होने के कारण वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होकर निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कथन किया कि स्व0 रतनसिंह एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के हक में खातेदारी अंकित किये जाने का मुख्य आधार पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2.7.1968 है । पंजीकृत विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाकर निरस्त कराये बिना वादीगण को वर्तमान राजस्व वाद के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम अंकित खातेदारी को चुनौती दिये जाने का विधि के तहत कोई हक, अधिकार नहीं है। विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में वादीगण का वाद प्रथमदृष्टया विधि द्वारा वर्जित होकर निरस्त किये जाने योग्य है । वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 का जवाब पेश किया गया । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 2.11.2012 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद इस आधार पर खारिज किया है कि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2.7.1968 को सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाकर निरस्त कराये बिना वादीगण को वर्तमान वाद पत्र के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम अंकित खातेदारी को चुनौती दिये जाने का अधिकार नहीं रहता है ।

7. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नंबर 1433 रकबा 4.13 है0 भूमि गोविन्दसिंह, रतनसिंह, छोटूसिंह पि0 नन्दसिंह, सोहनसिंह, शैतानसिंह, सुगनसिंह, रामसिंह पि0 रावतसिंह, मदनकंवर पत्नी स्व0 हरिसिंह, भवानीसिंह, ओमसिंह पिता हरीसिंह कौम राजपूत

सा0देह खातेदार दर्ज होकर सोहनसिंह का हिस्सा स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर के शाखा, पुष्कर के नाम दर्ज से दर्ज है । इसी जमाबंदी में अन्य नामांतकरण संख्या 316 दिनांक 15.12.2010 के अनुसार विरासत मृतक रतनसिंह के बजाय वारिसान छोटी कंवर पत्नि रतनसिंह, लाकूसिंह उर्फ लादूसिंह, नेमसिंह, सोदानसिंह, लालसिंह, चैनसिंह, कैलाश कंवर, प्रेमकंवर पि0 रतनसिंह कौम राजपूत के नाम दर्ज है । वादीगण/अपीलांटस स्वंय की यह स्वीकारोक्ति है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1433 के विक्रय पत्र का निष्पादन करते समय वात्सलयवश विक्रय पत्र में रतनसिंह का नाम अंकित किया गया था किन्तु रतनसिंह को पारिवारिक बंटवारे के तहत ग्राम तिलोरा की आराजी दी गई थी इस कारण ग्राम सूरजकुण्ड की आराजी में स्व0 रतनसिंह तत्पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 का कोई हक व अधिकार नहीं है । राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1433 पूर्व में स्व0 रतनसिंह तथा उनकी मृत्यु उपरांत जरिये विरासत प्रतिवादगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 8 के नाम दर्ज खातेदारी का मुख्य आधार पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2.7.1968 है । वादीगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2.7.1968 को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दी जाकर निरस्त कराया गया हो इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है । पंजीकृत विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना वादीगण/अपीलांटस को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज खातेदारी को चुनौती दिये जाने का विधिक अधिकार नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वादीगण/अपीलांटस का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.11.2012 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर